न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, कैम्प सागर

पूरन पटैल आयु ७० वर्ष वल्द स्व.श्री गनपत पटैल
निवासी ग्राम बहेरिया गद्गद तहसील व जिला सागर

......................पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्रीमती ऊषा जैन आयु ५० वर्ष पत्नि विमल कुमार जैन
निवासी ग्राम बण्डा, तहसील बण्डा जिला सागर

......................उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १९५९ ।

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ०८ अ/१२ वर्ष २०१४ - २०१५ ग्राम बहेरिया पक्षकार श्रीमती ऊषा जैन में पारित आदेश दिनांक १०/०४/२०१५ एवं २५/०५/२०१५ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

१. यह कि उत्तरवादी ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करके मौजा ग्राम बहेरिया गदगद पटवारी हल्का नम्बर ७७ राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर-२ में स्थित खसरा नम्बर ९७/५ एवं १०० रकवा क्रमशः ०.०४ हेक्टेयर, ०.०९ हेक्टेयर के सीमांकन कराए जाने की प्रार्थना की ।

२. यह कि उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर ने आर्डर शीट दिनांक १०/०४/२०१५ में ''सीमांकन हेतू हल्का पटवारी को सीमांकन कार्यवाही किए जाने जाने हेतू आदेश जारी हो ।'' लेख किया था । उक्त आदेश के विरूद्ध जाकर स्वयं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर ने चार पटवारियों की संयुक्त टीम द्वारा सीमांकन कार्य दिनांक २५/०४/२०१५ को समपनन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिनांक १०/०४/२०१५ को जारी कर दिया Annexure A-1 है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2975–दो / 2015 जिला–सागर

पूरन पटैल विरूद्ध श्रीमती ऊषा जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सागर–2, तहसील सागर, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 08 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–04–2015 एवं 25–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	